# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस**

प्रकरण संख्या 03/2017 प्रार्थना पत्र विविध

श्री कुलदीप आत्मज श्री किशनलाल खटीक, मकान नम्बर 12, जनता मार्ग, सुरजपोल, उदयपुर (राज.)

——— **अपीलार्थी**

**बनाम**

1. नगर निगम, उदयपुर जरिये श्री आयुक्त नगर निगम उदयपुर (राज.)
2. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, उदयपुर (राज.)

——— **विपक्षीगण**

**अपील अन्तर्गत धारा 269 (4) राज. नगर पालिका अधि. 2009 प्रकरण संख्या /2017 अपील विरूद्ध आदेश स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, उदयपुर, आदेश दिनांक 16.05.2017**

उपस्थित : 1. श्री नरेन्द्र कुमार पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र ओझा, विपक्षी संख्या 1, 2

## निर्णय

दिनांकः—11.01.18

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 269 (4) राज. नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को नगर निगम उदयपुर द्वारा दिनांक 06.04.16 को मुर्गा मछली के विक्रयार्थ अनुज्ञा पत्र क्रमांक 211 जारी किया गया जिसके अन्तर्गत दुकान नम्बर 3 गणेशनगर, कालका माता रोड़ पर विक्रय करने हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 06.04.16 से 31.03.17 तक नियत की गई थी। जिसके नवीनीकरण बाबत् मार्च 2017 में आवेदन कर दिया गया था। जिस पर नगर निगम के कर्मचारी द्वारा जबानी कहा कि अनुज्ञा शुल्क जमा कराने पर ही नवीनीकरण पर विचार किया जावेगा। जिस पर अपीलान्ट ने 750 रूपये शुल्क की राशि डी.डी. की बना प्रार्थना पत्र के साथ नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर दिनांक

16.05.17 को स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 16.05.17 से सूचित किया कि क्षेत्रवासियों की शिकायत से लाईसेंस का नवीनकरण नहीं किया जा सकता हैं। डी.डी. वापस लौटा दी गई। जबकि अपीलान्ट पिछले एक वर्ष से शान्तिपूर्ण ढंग से व्यापार करता चला आ रहा हैं। व्यापार संबंधी शिकायत किसी के द्वारा नहीं की गई। नाही कभी जॉच में कोई रिमार्क भी लगाया गया। थाने में किसी के द्वारा कभी कोई एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं करवायी गई। मात्र स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कानुन व न्याय के सिद्धांतो के विपरीत आदेश पारित किया गया हैं। अपीलान्ट की अनुज्ञा नवीनीकरण नहीं करने के कारण अपीलान्ट को आर्थिक व मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही हैं। अपीलान्ट व्यवसाय से महरूम हो गया हैं। आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गया हैं। अतः स्वास्थ्य अधिकारी का आदेश दिनांक 16.05.17 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की अनुज्ञा क्रमांक 211 दिनांक 06.04.16 का नवीनीकरण करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

अपने जवाब में निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कई शिकायतो के कारण नगर निगम द्वारा उसका लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया। निगम के किसी कर्मचारी द्वारा भी यह नहीं कहा गया कि राशि जमा होने पर ही नवीनीकरण पर विचार किया जावेगा। क्योंकि नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही अनुज्ञा शुल्क जमा कराया जाता हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध पड़ौसी व मोहल्ले के समाज के लोगो की शिकायते आ रही थी। अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस थाना प्रतापनगर में भी शिकायत दर्ज करायी थी। दुकान के पास में निजी चिकित्सालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, विद्यालय हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध 74 लोगो द्वारा शिकायत की गई हैं। अपीलान्ट की दुकान से

आम जनता व क्षेत्रवासियो को असुविधा हो रही हैं। ऐसी स्थिति में निगम को यह अधिकार है कि उसकी दुकान का नवीनीकरण नहीं किया जावें। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हैं। अपीलार्थी वैध अनुज्ञाधारी हैं। पिछले एक वर्ष से शान्तिपूर्ण तरीके से व्यवसाय करता आ रहा हैं। किसी को अपीलार्थी से शिकायत नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार नवीनीकरण की राशि भी प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ में निगम में प्रस्तुत कर दी गई। इसके उपरान्त भी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा राशि इस आशय से पुनः लौटा दी गई कि अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत होने से अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है जो पूर्ण रूप से न्याय व कानून की दृष्टि से गलत हैं। अतः अब भी नगर निगम उदयपुर को निर्देशित करें कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र का नियमानुसार नवीनकरण किया जावें।

उपस्थित रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम उदयपुर द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपीलार्थी के कथनो का विरोध कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने नवीनीकरण हेतु मार्च 2017 में पेश नहीं कर दिनांक 02 मई 2017 को नवीनीकरण हेतु जरिये डाक से भिजवाया था। जबकि नियमानुसार अपीलार्थी को 31 मार्च 2017 के पहले नियमानुसार अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत कर देना चाहिये था। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र ही 31 मार्च 2017 तक ही मान्य था। तो वह स्वतः ही नवीनीकरण के बिना अमान्य हो गया। अपीलार्थी को अनुज्ञापत्र दिनांक 06.04.16 को जारी किया गया था। उसके बाद निरंतर अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायते क्षेत्रवासियों से प्राप्त हो रही थी। क्षेत्रवासियों द्वारा एक शिकायत थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर को भी की गई थी। एक शिकायत श्रीमान को भी की गई थी। निरंतर

शिकायते प्राप्त होने से यह प्रावधान है कि यदि किसी दुकान से आम जनता या क्षेत्रवासियों को असुविधा हो रही हो तो उस दुकान का लाईसेंस निरस्त किया जा सकता हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के क्लॉज 235 के अनुसार ''बाजारो, पशुवध गृहों एवं कतिपय व्यवसायों के लिये लाईसेंस देना (Licensing markets, slaughter houses and certain businesses) – (1) बोर्ड के लिये यह निर्देश देना विधिसंगत होगा कि कोई भी स्थान जो बोर्ड से संबंधित या उसमें निहित होगा, बोर्ड से प्राप्त लाईसेन्स की शर्तो के अधीन एवं उसके अनुसार के सिवाय धारा 90 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित प्रयोजनों के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा। बोर्ड ऐसे लाईसेंस को या तो सामान्य रूप से व्यक्तिगत मामलों में दे सकेगा, निलम्बित कर सकेगा, रोक सकेगा या वापस ले सकेगा।'' नगर निगम को यह पूर्ण रूप से अधिकार है कि वह जनभावना को देखते हुए ऐसे अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं करें उसी के तहत अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किया गया हैं। जो विधि में प्रदत्त नियमो के तहत ही कार्यवाही की गई हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अध्ययन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी को प्रथम बार जब अनुज्ञापत्र जारी किया गया था उस समय विस्तृत जॉच कर ही अनुज्ञापत्र जारी किया गया होगा। यदि अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञापत्र में वर्णित शर्तो का उल्लंघन किया गया हो, वक्त निरीक्षण अपीलार्थी के विरूद्ध मौके पर कोई शिकायते प्राप्त हुई हो, मौके पर शर्तो का उल्लंघन करता हुआ पाया गया हो तो ऐसी स्थिति में अनुज्ञापत्र को निरस्त/नवीनीकरण नहीं किया जाना न्यायसंगत हैं। परन्तु कतिपय शिकायतो पर इस प्रकार से निर्णय लिया जाना कतई उचित नहीं हैं। पत्रावली पर पैरोकार निगम द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज

प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो शिकायते प्राप्त हुई उनकी जॉच की गई, जॉच में क्या तथ्य सामने आये, क्या की गई शिकायते पूर्ण रूप से सत्य पायी गई। मात्र प्राप्त शिकायतो को आधार मानकर नवीनीकरण की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी को स्वीकार किया जाकर आयुक्त नगर निगम, उदयपुर को यह निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र क्रमांक 211 दिनांक 06.04.16 का नियमानुसार नवीनीकरण करें एवं अपीलार्थी की दुकान का नियमित निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था करें। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करें। साथही यदि कोई शिकायते अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त होती है तो उनकी सक्षम अधिकारी से नियमानुसार जॉच करावें। जॉच रिपोर्ट के आधार पर गुणावगुण पर आवश्यक कार्यवाही करें। अपीलार्थी को भी यह पाबन्द किया जाता है कि वह अनुज्ञापत्र में प्रदत्त शर्तो की पालना शत प्रतिशत रूप से करें।

निर्णय की प्रति आयुक्त, नगर निगम उदयपुर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
**जिला कलक्टर**
**उदयपुर**